छात्रावासों में खाद्यान्न अपूर्ति योजना :

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018–19 से किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की जाती है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक डोर स्टेप डिलीवरी योजना–2016 के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

छात्रावास में मुफ्त खाद्यान्न योजनाः– छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को 15 कि0ग्रा0 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की डोर स्टेप आपूर्ति की जा रही है।

- आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति माह छात्रावासो में खाद्यान्न आपूर्ति योजनान्तर्गत 15 कि0ग्रा0 (9 कि0ग्रा0 चावल एवं 6 कि0ग्रा0 गेहूँ) खाद्यान्न बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी (Door Step Delivery) के तहत मुफ्त छात्रावासों तक पहुंचायी जाती है

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास

वैशाली, पटना, खगड़िया, जमुई, रोहतास, भागलपुर **(महिला)**, शेखपुरा, दरभंगा एवं मधेपुरा **जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास में रिक्तियाँ उपलब्ध है।**

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास

शेखपुरा, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णियाँ, बेगूसराय, नालन्दा, किशनगंज, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मुंगेर, गोपालगंज, औरंगाबाद, सुपौल, नवादा, बक्सर, भोजपुर, सारण, रोहतास, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण एवं अरवल **जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में रिक्तियाँ उपलब्ध है।**

2. छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजनाः-

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कॉट, मैटेªस, पठन-पाठन हेतु टेबल-कुर्सी एवं खाना बनाने हेतु बर्तन इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छात्र/छात्राओं को षिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च षिक्षा दर में वरद्धि करने एवं छात्रावास संबंधी आवष्यकताओं की पूरÿ्ि के लिए देय सुविधाओं में बढ़ोतरी की आवष्यकता को देखते हुए इस नई योजना की शुरूआत की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति माह 15 किलो ग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलो ग्राम चावल एवं 6 किलो ग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक खाद्यान्नों की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी योजना-2016 के तहत की जाती है। योजनान्तर्गत लगभग तीन हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है।